२३/१०/२२

पत्रावली प्रस्तुत/ वकील साथी अनु० / न्यायालय के उपरान्त बार बार रुक रुक कर पुकारे जाने पर ना तो प्रार्थी ना ही वकील प्रार्थी न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ। अत: प्रा० पत्र अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।

(प्रियंका तलानिया)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2022.11.09 13:18:56 IST
Reason: SelfAttested